भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 367

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

पिछड़े जिलों में धान की बिक्री

367. श्रीमती मालविका देवीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन मिल मालिकों के खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं जो पिछड़े जिलों में गरीब किसानों के साथ हेर-फेर करने और धान की बिक्री को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि जिन किसानों के पास अच्छी गुणवत्ता वाला धान है, उन्हें मिल मालिकों द्वारा अनाज तौल में किसी भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़े और 5-7 किलोग्राम अनाज का नुकसान न हो; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि किसानों को बेमौसम बारिश के कारण होने वाली धान की हानि के लिए अपना बीमा मिले?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): भारत सरकार ने खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) वर्ष 2015-16 से चावल की खरीद की लेवी प्रणाली बंद कर दी है। लेवी प्रणाली में, धान की खरीद मिल मालिकों द्वारा की जाती थी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान भी मिल मालिकों द्वारा ही किया जाता था। मिल मालिकों द्वारा किसानों को एमएसपी के भुगतान के संबंध में (नामित राज्य प्राधिकरण द्वारा) प्रमाण पत्र के आधार पर, रिजलटेंट राईस का एक निश्चित प्रतिशत सरकार को दिया जाता था।

वर्तमान में, किसानों से धान की पूरी खरीद सीधे राज्य एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा की जाती है। राज्य एजेंसियों को धान की खरीद के लिए सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) आदि को शामिल करने की अनुमति है। पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद आढ़तियों के माध्यम से की जाती है। लेकिन उपरोक्त दोनों मामलों में एमएसपी का भुगतान संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा राशि के ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में जारी किया जाता है। राज्य सरकार को किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से धान की खरीद मिलरों को आउटसोर्स करने की अनुमति नहीं है।

भारत सरकार ने देश के हर कोने तक एमएसपी संचालन की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद को बढ़ावा और प्रोत्साहित किया है। राज्य सरकार/इनकी एजेंसियों द्वारा विभिन्न आकस्मिक व्यय पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति, भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा की जाती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन को पैम्फलेट, बैनर और अन्य प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाता है। एमएसपी परिचालन के तहत धान की खरीद अनिवार्य रूप से राज्य खरीद पोर्टलों के माध्यम से की जा रही है, जिससे सरकारी खरीद केंद्रों/मंडियों में अपनी उपज की बिक्री के लिए किसानों के पंजीकरण, ऑनलाइन भूमि सत्यापन और किसानों के बैंक खाते में सीधे एमएसपी का ऑनलाइन भुगतान शुरू होने से प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता आई है। बेहतर निगरानी, समीक्षा और निर्णय लेने के लिए लगभग वास्तविक समय के आधार पर सूचना का भंडार उपलब्ध कराने हेतु राज्य खरीद पोर्टलों को केंद्रीय खरीद खाद्यान्न पोर्टल (सीएफपीपी) के साथ एकीकृत किया गया है।

(ग): असामयिक वर्षा जैसी किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, सुचारू खरीद के लिए प्रभावित खाद्यान्नों की एकरूप विशिष्टताओं में छूट प्रदान की जाती है, ताकि खाद्यान्नों की संकटपूर्ण बिक्री/अस्वीकृति को रोका जा सके।

*****